

प्रेषक

महानिदेशक,
खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
प्रशासक ।

यादी क्रमांक -टीए-हर-1टी-2025/ दिनांक:

विषय:- श्री मामचन्द, लेखा अधिकारी के हक में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय पर के सन्दर्भ में ।

विषयागत मामले में आपको अवगत कराया जाता है कि श्री मामचन्द, लेखा अधिकारी कार्यालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला से 58 वर्ष की आयु उपरान्त दिनांक 30-04-2025 को सेवानिवृत्त होना है ।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर निदेशालय को सूचित करने का कष्ट करें कि उनके विरुद्ध आपके पास किसी प्रकार के कोई ड्यूज तो नहीं है । अन्यथा सेवा निवृत्ति उपरान्त यदि कोई मामला प्राप्त होता है तो आपका विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा ।

-६६-१-

अधीक्षक


कृते महानिदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक टीए-हर-1टी-2025/1167

दिनांक: 05/03/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग (वि०ले०शाखा) ।
2. निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
3. प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग को भेजते हुए लिखा जाता है कि इसे निदेशालय की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।



अधीक्षक

कृते महानिदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

